Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्रपत्र 2 (नियम 11 (4) देखिए)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (JABALPUR), मध्यप्रदेश

दूरभाषः- फैक्सः ई-मेलः

क्रमांकः 892511146 स्कूल आई.डी. - 31702
प्रति,

दिनांकः- 13/03/2018

प्रबंधक,

(Nalanda Public School)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 12/08/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Nalanda Public School, Near Sai Colony, Dhanwantri Nagar, Jabalpur [M.P] को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपटेशन फीस का संग्रह नही करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

S. Mathur 2.8.18

Sangeeta Mathur
Principal
NALANDA PUBLIC SCHOOL
Dhanwantri Nagar, Jabalpur

PRINCIPAL
NALANDA PUBLIC SCHOOL
DHANWANTRI NAGAR
JABALPUR (M.P)

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

- स्कूल द्वारा अ धनियम की धारा 19 में व निर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सु वधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सु वधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	कराए का भवन	कराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	243931	130000
10	स्कूल का नि र्मत क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	92966	98624
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	150640	91635

ड. अधोसंरचना का विवरण

	कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
			संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		22	480	22	480
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार/कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		3	150	3	150
3	भोजनालय-सह-भण्डार		0	0	0	0

च.	अन्य सु वधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सु वधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	6930	6930
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	20	20
6	पेयजल सु वधा का प्रकार	Pipe Water	Pipe Water
7	पेयजल सु वधा की संख्या	36	36
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
10	लड़ कयों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	26	26
11	वकलांग बच्चों के लए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	2
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरी क्षत कए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्या पत होंगे और उ चत लेखा ववरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के ववरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शक्षा अ धकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..392511146.. एवं डाईसकोड (DISE) 23390219931 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संद र्भत कए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शक्षा केन्द्र/जिला शक्षा अ धकारी द्वारा समय-समय पर अपे क्षत की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्रा धकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा क स्कूल के संचालन की क मयों को दूर करने के लए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी कए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण कया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अ धनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

14.3.18

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शक्षा अ धकारी
जिला जबलपुर

जिला JABALPUR मध्यप्रदेश

PRINCIPAL
NALANDA PUBLIC SCHOOL
DHANWANTRI NAGAR,
JABALPUR (M.P.)